न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 09/2022
जी.सी.एस.एस. नं. : 2022/49

गुरमेल सिंह बनाम अवतार सिंह आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि., 1955

उपस्थिति :-
1. श्री नवीन मिडढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1)
2. श्री प्रवीण चुघ, श्री विजय जसूजा अधिवक्ता अप्रार्थी(वादी)

-:: आदेश प्रार्थना पत्र ::-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 28.03.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रतिवादी अवतार सिंह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा वाद में कथन किया गया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 को माता कलवंत कौर की मृत्यु उपरांत विरास्तन प्राप्त हुआ है, इसलिए भूमि वादी की जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। जिस आधार पर प्रतिवादी की भूमि में से 1/5 हिस्सा की भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। भूमि वादी की जद्दी जायदाद नहीं है, ना ही इसके समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश किये गये है। प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में वादी का भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार भूमि प्रतिवादी की स्वत: अर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा वादी को उक्त भूमि को जद्दी जायदाद कथन कर कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं होता है। वाद पत्र बोगस क्लेम पर आधारित होने से खारिज करने हेतु निवेदन किया।
2. वादी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश किये है। भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्व:अर्जित नहीं होकर वादी की दादी की मृत्यु के पश्चात विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथन साक्ष्य पर ही निर्धारित किये जा सकते है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की बहस के दौरान पुनरावृत्ति की। प्रतिवादी/प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय का ध्यान मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील 1933/2009 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 की आकृष्ट करते हुए वाद पत्र मौजूदा सूरत पर खारिज करने हेतु निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी प्रकरण में वाद बिन्दू कायम होने पर साक्ष्यों के आधार पर ही वाद का न्यायपूर्ण निर्णय सम्भव होने का तर्क देते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 को उनकी माता तथा वादी की दादी कलवंत कौर की मृत्यु उपरान्त विरास्तन प्राप्त होने से विवादित भूमि वादी की जद्दी जायदाद के आधार पर [illegible] अपने 1/5 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का [illegible] पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम [illegible] कि चूंकि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अपनी माता से प्राप्त हुई है [illegible] स्थिति में भूमि उनकी हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी की अविभाजि[illegible] पैतृक सम्पत्ति नहीं [illegible] हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी की स्व:अर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नं. 1933/2009 निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नं. 1933/2009 निर्णय दिनांक 19.04.2018 का ससम्मान अध्ययन किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय अनुसार "Any property inherited upto four generations of male lineage from the father, father's father or father's father's father i.e. father, grand father etc., is termed as ancestral property. In other words, property inherited from mother, grand mother, uncle and even brother is not encestral property. In ancestral property, right of property accrues to the coparcener on birth." हस्तगत प्रकरण में वादी स्वंय द्वारा यह कथन अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम की विवादित भूमि प्रतिवादी को उनकी माता के देहान्त के पश्चात प्राप्त हुई है, ऐसे में यह भूमि मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के प्रकाश में प्रतिवादी की विरासतन सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती है, तथा वादी के वाद का सम्पूर्ण अनुतोष इसी तथ्य पर आधारित है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र निष्फल है। प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र निष्फल होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता हैं तथा वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner